



**कार्यालय पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन ,पुलिस कमिश्नरेट,
वाराणसी।**

प्रेस नोट

दिनांक-08-09-2022

थाना चेतगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0-385/2018 धारा-376 भा0द0वि0 व 5/6 पाँक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त जावेद अख्तर पुत्र जमील निवासी मण्डुवाडीह चौराहा थाना मण्डुवाडीह कमिश्नरेट वाराणसी को श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो एक्ट-2 द्वारा अन्तर्गत धारा 376 भादवि दोषसिद्ध पाते हुए 12 वर्ष के सश्रम कारावास तथा रु0-20,000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

**सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी**